

तत्काल

क्रमांक:- 41/01/2020-5पोल
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

दिनांक 12 जून, 2020.

सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार/सभी प्रधान सचिव व आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष ।
3. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलायुक्त ।
4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।
5. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड/निगम/प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक/प्रबन्धक निदेशक ।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा ।

विषय:-

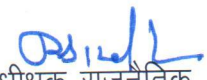
हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा किलोमीटर स्कीम के खिलाफ की गई हड़ताल के समर्थन में अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 के सामूहिक अवकाश और दिनांक 30-31 अक्टूबर, 2018 को आयोजित हड़ताल तथा दिनांक 8 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय हड़ताल पीरियड को लीव ऑफ काईड ड्यू करने बारे अनुरोध ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको सम्बोधित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार ने हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर से दिनांक 2 नवम्बर, 2018 तक (18 दिन) तक की गई हड़ताल, उनके समर्थन में अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 को लिए गए सामूहिक अवकाश की अनुपस्थिति अवधि, दिनांक 30 व 31 अक्टूबर, 2018 को की गई दो दिवसीय हड़ताल की अवधि तथा दिनांक 8 जनवरी, 2020 को हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल को भी **Leave of Kind due** मान लिया गया है ।

2. आपसे अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जाए ।

भवदीय,

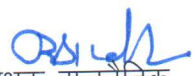

अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

दिनांक 12 जून, 2020

अशा:क्रमांक 41/01/2020-5पोल

इसकी एक प्रति श्री सतीश सेठी महासचिव, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक एसकेएस/हरि/2020/33 दिनांक 15.05.2020 के सदर्थ में सूचनार्थ भेजी जाती है ।


अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।